बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 29 जुलाई 1982 ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—गत सत्र के अनागत अल्पसूचित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तरों का सभा-पटल पर रखा जाना।	1
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 96, 98, 99 एवं 102 ..	2—9
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919 एवं 2920	9—30
परिशिष्ट 1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	31—62
परिशिष्ट-2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	63—235
शुद्धि निबन्ध	236

---

*टेप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

में कार्रवाई की जा रही है जिसकी वसूली यथाशीघ्र संवेदक के अन्तिम विपत्र से तथा अन्य विभाग में उनके बकाये से किया जायेगा। इसे सुनिश्चित कर प्रतिवेदन भेजने का आदेश कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता को दिया जा रहा है।

सिमेंन्ट का आवंटन

2953. सर्वश्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा एवं श्री रामजी प्रसाद महतो—क्या मंत्री, खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के सिमेन्ट वितरण समिति की बैठक दिसम्बर, 1981 में हुई।

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड के श्री विमल प्रसाद सिंह, श्री अर्जुन प्रसाद सिंह, ग्राम हमेजापुर, श्री बनवारी प्रसाद सिंह, ग्राम सुन्दरपुर को जिला सिमेन्ट वितरण समिति ने 50-50 बोरे आवंटित की।

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त किसी व्यक्ति को सिमेन्ट की आपूर्त्ति नहीं की गई है, यदि हां तो इसके लिये सरकार किसे दोषी मानती है?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(2) जिला सिमेन्ट वितरण समिति ने धरहरा प्रखंड के श्री विमल प्रसाद सिंह, श्री अर्जुन प्रसाद सिंह, ग्राम हमेजापुर एवं श्री बनवारी प्रसाद सिंह, ग्राम सुन्दरपुर के नाम से पचास-पचास बोरे सिमेन्ट की आपूर्त्ति की स्वीकृति दी थी जिनमें से श्री अर्जुन प्रसाद सिंह, हमेजापुर को दिनांक 6 फरवरी 1982 को परमीट निर्गत किया जा चुका है। विगत बैठक दिनांक 21 दिसम्बर 1981 में स्वीकृत सिमेन्ट की मात्रा 9,986 बोरे की थी जबकि उतनी मात्रा में जिले में सिमेन्ट का भंडार उपलब्ध नहीं था। वितरण समिति के सदस्यों ने सम्भवतः इस आशा में उतनी अधिक मात्रा में स्वीकृति दी थी कि अगले माह में जिले में प्राप्त भंडार से अवशेष परमीट पर आपूर्त्ति कर दी जायेगी लेकिन ऐसा सम्भव नहीं हो सका क्योंकि इसी बीच सरकार की सिमेन्ट की नीति में परिवर्त्तन हो गया। फलस्वरूप उक्त बैठक में स्वीकृत सिमेन्ट की आपूर्त्ति को कार्यान्वित कराना संभव नहीं था। अतः जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में स्वीकृत सभी सिमेन्ट आवेदन-पत्र को रद्द समझा जाय और उन्हीं आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाए जो सिमेन्ट की दोहरी मूल्य नीति के आदेश के बाद प्राप्त होता है।

(3) इस प्रकार प्रश्नगत व्यक्तियों को सिमेन्ट की आपूर्त्ति नहीं होने के लिये किसी पदाधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता है क्योंकि नीति परिवर्त्तन के फलस्वरूप ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।